

विषय:- हरियाणा राजभवन में 11 सेवादारों की नियुक्ति बारे।

\*\*\*\*

क्या:

1. मुख्य मंत्री, उप मुख्य मंत्री, मन्त्रीगण, राज्य मन्त्रीगण हरियाणा के विशेष वरिष्ठ सचिव/ वरिष्ठ सचिव / सचिव/ निजि सचिव।
  2. मुख्य सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिवों, प्रधान सचिवों, सचिवों, विशेष सचिवों, संयुक्त सचिवों के विशेष वरिष्ठ सचिव/ वरिष्ठ सचिव / सचिव/ निजि सचिव/ निजि सहायक।
  3. सचिव/ सी० पी०एस०सी०एम, सचिव/ पी०एस०सी०एम, वरिष्ठ सचिव/ ए०पी०एस०सी०एम०, निजि सचिव/ डी०पी०एस०सी०एम, निजि सचिव/ ओ०एस०डी/ सी०एम०, सचिव/ पी०ओ०एस०डी० सी०एम०, सचिव/ राजनैतिक सचिव/ सी०एम।
  4. संयुक्त सचिव/ उप सचिव / अवर सचिव के निजि सहायक/ वरिष्ठ आशुलिपिक/ कनिष्ठ आशुलिपिक/ आशुलिपिक।
  5. हरियाणा सिविल सचिवालय के सभी अधीक्षक/ अनुभाग अधिकारी/ उपाधीक्षक/ शाखाध्यक्ष/ पुस्तकालयध्यक्ष/ स्थानीय सहायक/ प्रशासकीय अधिकारी/ परिचालन सहायक।  
कृपया उपरोक्त विषय की ओर ध्यान देने का कष्ट करेंगे ?
2. उन्हें सूचित किया जाता है कि हरियाणा राजभवन में 11 सेवादार के पद नियुक्ति आधार पर भरे जाने हैं।

इन पदों पर नियुक्त कर्मचारियों को मुफ्त आवास सुविधा तथा मूल वेतन के 6¼ प्रतिशत के बराबर मुफ्त बिजली/ पानी की सुविधा भी दी जायेगी।

3. उनसे अनुरोध है कि वह उनके अधीन कार्य कर रहे सभी वरिष्ठ सेवादारों/ सेवादार-कम-चौकीदारों, जो इस पद पर नियुक्ति के इच्छुक हो, को इस बारे सूचित कर दें कि वह अपना आवेदन पत्र दिनांक 30.06.2021 तक स्थापना-III में अवश्य भिजवा दें।
4. निर्धारित तिथि के पश्चात् प्राप्त होने वाले आवेदन पत्रों पर विचार नहीं किया जाएगा।

अधीक्षक स्थापना-III,  
कृते: मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार।

इसकी एक प्रति निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु भेजी जाती है।

1. मुख्य मंत्री, उप मुख्य मंत्री, मन्त्रीगण, राज्य मन्त्रीगण हरियाणा के विशेष वरिष्ठ सचिव/ वरिष्ठ सचिव / सचिव/ निजि सचिव।
2. मुख्य सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिवों, प्रधान सचिवों, सचिवों, विशेष सचिवों, संयुक्त सचिवों के विशेष वरिष्ठ सचिव/ वरिष्ठ सचिव / सचिव/ निजि सचिव/ निजि सहायक।
3. सचिव/ सी० पी०एस०सी०एम, सचिव/ पी०एस०सी०एम, वरिष्ठ सचिव/ ए०पी०एस०सी०एम०, निजि सचिव/ डी०पी०एस०सी०एम, निजि सचिव/ ओ०एस०डी/ सी०एम०, सचिव/ पी०ओ०एस०डी० सी०एम०, सचिव/ राजनैतिक सचिव/ सी०एम।
4. संयुक्त सचिव/ उप सचिव / अवर सचिव के निजि सहायक/ वरिष्ठ आशुलिपिक/ कनिष्ठ आशुलिपिक/ आशुलिपिक।
5. हरियाणा सिविल सचिवालय के सभी अधीक्षक/ अनुभाग अधिकारी/ उपाधीक्षक/ शाखाध्यक्ष/ पुस्तकालयध्यक्ष/ स्थानीय सहायक/ प्रशासकीय अधिकारी/ परिचालन सहायक।

आशा: कमांक 9/1/2014-4स्था०-III  
पृ०क० 9/1/2014-4स्था०-III

दिनांक 14.06.2021  
दिनांक 14.06.2021

इसकी एक प्रति अवर सचिव/ कार्यालय सचिव राज्यपाल, हरियाणा को उनके पत्र कमांक एच०आर०बी०-जी०ए०-1(75)-1990/3120, दिनांक 03.06.2021 के संदर्भ में सूचनार्थ प्रेषित है।

अधीक्षक स्थापना-III,  
कृते: मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार।